

UPLL01-003054-2022

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), ललितपुर।

फाईनल रिपोर्ट संख्या 147/2022

जगभान बनाम अजय प्रताप सिंह आदि

मु०अ०सं० 97/2022

धारा 323, 504, 506 भा.द.सं.

& 3(1)द, ध SC/ST Act

थाना- नाराहट, जिला ललितपुर।

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गयी। कोई हाजिर नहीं है, न ही किसी तरह का कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। वादी को दिनांकित 07.03.2025 का नोटिस बजातखास तामिला पर्याप्त है। पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उसके द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है और विस्तृत एवं विधिवत विवेचना, निरीक्षण घटनास्थल, चिकित्सीय प्रपत्र, गवाही गवाहन कर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। वादी द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं किये जाने के कारण प्रकरण को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर(फाईनल रिपोर्ट) संख्या 12/2022 दिनांकित 29.09.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है, अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 23.04.2025

(सुनील सिंह)

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act),
ललितपुर।**